उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग-3
संख्या-33/2015/1337/35-3-2015-1(50)/2015
लखनऊ: दिनांक: 08 अक्टूबर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण एवं राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली-2003 के अन्तर्गत भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली के परिपत्र संख्या-9/41/2015-सीआरडी(एनपीआर) दिनांक 08 सितम्बर, 2015 के प्रस्तर-2 में निहित निर्देशानुक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय पंजीकरण हेतु प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन (जिनका विवरण निम्नवत है) को राज्य समन्वयक नामित किया जाता है:-

क्रम संख्या	पदनाम	कार्यालय कक्ष एवं दूरभाष संख्या एवं पता
1	प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग	कक्ष संख्या-209, द्वितीय तल, योजना भवन, लखनऊ। फोन नं0 (कार्यालय) -0522-2238973/2238467 (आवास) -0522-2235956 (फैक्स) -0522-2238967 ई-मेल-psecplan@nic.in

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

संख्या:33/2015/1337(1)/35-3-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के परिपत्र संख्या-9/41/2015-सीआरडी(एनपीआर) दिनांक 08 सितम्बर, 2015 के सन्दर्भ में।
2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, जनगणना भवन, प्लाट संख्या-सी0सी0-1,सेक्टर जी, अलीगंज लखनऊ।

6- निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

7- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम/अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगरपंचायत, उत्तर प्रदेश (द्वरा निदेशक, स्थानीय निकाय)।

8- निदेशक, स्थानीय निकाय, 8वॉ तल इन्दिरा भवन, लखनऊ।

9- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव ।

http://sh sanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।